अति तत्काल/Most Immediate

सत्यमेव जयते

भारत सरकार/Government of India

विद्युत मंत्रालय/ Ministry of Power

केन्द्रीय विधुत प्राधिकरण /Central Electricity Authority

विनियामक कार्य प्रभाग/Regulatory Affairs Division

विषय : केन्द्रीय विधुत प्राधिकरण की वर्ष 2017-18 की वार्षिक रिपोर्ट से सम्बंधित।

केन्द्रीय विधुत प्राधिकरण (के.वि.प्रा.) की वर्ष 2017-18 की वार्षिक रिपोर्ट को समेकित करने का कार्य सचिव, के.वि.प्रा. के द्वारा संचार संख्या: 1/1/Secretary/2018/32 दिनांक 09.04.2018 के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को दिया गया है।

2. नियत कार्य की समय पर पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, कार्रवाई की रूपरेखा निम्नानुसार तैयार की गई है:

- सूचना के पैटर्न को उसी लाइन पर बनाए रखा जाए जैसा कि के.वि.प्रा. की वर्ष 2016-17 की वार्षिक रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया था।
- सभी प्रभाग सूचना के अपने हिस्से को संकलित कर संबंधित स्कंध/विंग के एस.ए. (S.A.) के पास समेकन के लिए भेजें ताकि प्रत्येक स्कंध की समेकित सूचना संबंधित सदस्यों के सम्यक अनुमोदन के पश्चात जमा कर दी जाए। इससे सूचना की व्यापकता सुनिश्चित होगी और किसी भी अंतर्निहित विसंगति या डुप्लिकेशन से बचा जा सकेगा।
- समन्वय प्रभाग, आई.टी. प्रभाग और एच.आर.डी. प्रभाग द्वारा आवश्यक सूचना को प्रधान मुख्य अभियंता- I के सम्यक अनुमोदन के पश्चात अग्रेषित किया जाए।
- सभी आर.पी.सी. (R.P.C.) अपनी सूचना जी.एम. प्रभाग को अग्रेषित करें ताकि समेकित सामग्री उचित एकीकरण के पश्चात जी.एम. प्रभाग/ जीओ एंड डी स्कंध/विंग द्वारा उपलब्ध कराई जा सके।
- सभी आर.आई.ओ. (R.I.O.) अपनी सूचना सी.ई.आई. प्रभाग को अग्रेषित करें ताकि समेकित सामग्री उचित एकीकरण के पश्चात सी.ई.आई. प्रभाग/ पावर सिस्टम स्कंध/विंग द्वारा उपलब्ध कराई जा सके।
- सभी आर.पी.एस.ओ. (R.P.S.O.) अपनी सूचना पी.एस. एंड एल.एफ. प्रभाग को अग्रेषित करें ताकि समेकित सामग्री उचित एकीकरण के पश्चात पी.एस. एंड एल.एफ. प्रभाग/ योजना स्कंध/विंग द्वारा उपलब्ध कराई जा सके।
- निदेशक (प्रशासन) के तहत आने वाले सभी अनुभागों को अपनी सामग्री/ सूचना एक सेट में समेकित रूप से सचिव, के.वि.प्रा. के सम्यक अनुमोदन के पश्चात उपलब्ध कराना अपेक्षित है। इसी तरह, उप-सचिव (बजट और लेखा) एवं उप-सचिव (सतर्कता) के तहत

आने वाले सभी अनुभागो को अपनी सामग्री/ सूचना एक सेट मे समेकित रूप से सचिव, के.वि.प्रा. के सम्यक अनुमोदन के पश्चात उपलब्ध कराएं।

- पी.ए.सी. प्रभाग एवं प्रोटोकॉल ऑफिसर अपनी सामग्री/ सूचना सचिव, के.वि.प्रा. के सम्यक अनुमोदन के पश्चात उपलब्ध कराएं।

2. सभी संबंधित अधिकारियों से अनुरोध है कि वे प्रासंगिक सूचना/ सामग्री को ऊपर उल्लिखित प्रकार से 23 अप्रैल, 2018 तक प्रस्तुत करें, जैसा कि सचिव, के.वि.प्रा. द्वारा दिनांक 09.04.2018 को जारी किए गए संचार में उल्लेखित किया गया है। आपसे अनुरोध है कि इसी सामग्री कि सॉफ्ट कॉपी (soft copy), संपादन योग्य प्रारूप (editable format) में ई-मेल पर racea2017@gmail.com भी उपलब्ध कराई जाए।

हेमन्त जैन 17/4/2018

(हेमंत जैन)

मुख्य अभियंता (आर. ए)

सूची के अनुसार

संख्या: के.वि.प्रा./आ. व वा./आर.ए./वार्षिक रिपोर्ट 2017-18/174-250**दिनांक : 17.04.2018**

सूचना एवं विचार के लिए प्रतिलिपि:

1. **अध्यक्ष, के.वि.प्रा.**
2. **सदस्य, के.वि.प्रा. (योजना/ जल-विधुत/तापीय विधुत/विधुत प्रणाली/आ. व वा./ जी.ओ. एंड डी)**
3. **प्र.मु.अ.-I / प्र.मु.अ.-II, के.वि.प्रा.**
4. **सचिव, के.वि.प्रा.**

प्रतिलिपि : **निदेशक(आई.टी.)**, के.वि.प्रा.- वेबसाईट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ।

URGENT /MOST IMMEDIATE

सत्यमेव जयते

भारत सरकार/Government of India
विद्युत मंत्रालय/ Ministry of Power
केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण/Central Electricity Authority
विनियामक कार्य प्रभाग/Regulatory Affairs Division

Subject: Annual Report of C.E.A. for the year 2017-18 – reg.

The work of consolidating the Annual Report of C.E.A. for the year 2017-18 has been assigned to the undersigned as per communication No. 1/1/Secretary/2018/32 dated 09.04.2018 issued by Secretary, CEA.

2. With a view to ensure timely completion of the assigned work, the line of action has been drawn as under:

- The pattern of information may be maintained on the same lines as furnished for Annual Report of CEA for the year 2016-17.
- All the Divisions of the Wings would compile their part of information and sent it to the concerned SA for consolidation as one set of information from the Wing to be submitted with final approval of the concerned Member. This would ensure comprehensiveness of the information and avoid any inherent inconsistencies or duplicity of information.
- Coordination Division, IT Division and HRD Division are required to forward the requisite information with due approval of Principal Chief Engineer-I.
- The RPCs are to forward their information to GM Division for appropriate integration in the consolidated material from GM Division/GO&D Wing.
- The RIOs would submit their information to CEI Division for appropriate incorporation in the consolidated material from CEI Division/PS Wing.
- The RPSOs are to forward their information to PS&LF Division for appropriate incorporation in the consolidated material from PS&LF Division/Planning Wing.
- The sections under Director(Administration), are required to furnish their consolidated material as one set of information with due approval of Secretary, CEA. Similarly, the sections under Dy. Secretary (Budget & Accounts) and Dy. Secretary (Vigilance) are to furnish their respective consolidated material as one set of information with due approval of Secretary, CEA.
- PAC Division and Protocol Officer are to furnish the relevant information with due approval of Secretary, CEA.

2. All concerned are requested to ensure furnishing the relevant information/material in the manner outlined above preferably by 23rd April,2018, as mentioned in communication dated 09.04.2018 issued by Secretary, CEA, Soft copy of the same in editable format, may also be sent at e-mail: **racea2017@gmail.com**.

Sd/- 17/4/2018

(Hemant Jain)
Chief Engineer(RA)

As per List

No. CEA/E&C/RA/Annual Report 2017-18/ 174-250 **Dated: 17.04.2018**

Copy for favour of kind information and appraisal:

1. **Chairperson, CEA**
2. **All Members of CEA**
3. **PCE-I/ PCE-II**
4. **Secretary, CEA**

Copy to: Director(IT), CEA, with the request to upload the same on CEA website

पत्राचार के लिए सूची:

I. मुख्य अभियंता, के.वि.प्रा.

आर्थिक एवं वाणिज्यिक स्कंध
1. मुख्य अभियंता (एफ.एस. एंड ए.)
2. आर्थिक सलहाकार (ई.पी.डी.)
3. मुख्य अभियंता (विधि)
4. मुख्य अभियंता (एफ. एंड सी.ए.)
ग्रिड प्रचालन एवं वितरण स्कंध
5. मुख्य अभियंता (ओ.पी.एम.)
6. मुख्य अभियंता (जी.एम.)
7. मुख्य अभियंता (डी.पी.एंड टी)
8. मुख्य अभियंता (डी.पी. एंड आर.)
9. मुख्य अभियंता (एन.पी.सी.)
10. मुख्य अभियंता (डी.एम.)
विद्युत प्रणाली स्कंध
11. मुख्य अभियंता (पी.एस.पी. एंड ए.-I)
12. मुख्य अभियंता (पी.एस.पी. एंड ए.-II)
13. मुख्य अभियंता (पी.एस.ई. एंड टी.डी.)
14. मुख्य अभियंता (पी.एस.पी.एम.)
15. मुख्य अभियंता (सी.ई.आई.)
16. मुख्य अभियंता (पी.सी.डी.)
तापीय-विद्युत स्कंध
17. मुख्य अभियंता (टी.पी.एम.-I)
18. मुख्य अभियंता (टी.पी.एम.-II)
19. मुख्य अभियंता (टी.पी.ई. एंड. सी.सी.)
20. मुख्य अभियंता (टी.पी.पी. एंड डी.)
21. मुख्य अभियंता (टी.आर. एंड एम.)
22. मुख्य अभियंता (यू.एम.पी.पी.)
23. मुख्य अभियंता (टी.ई.एंड टी.डी.)
24. मुख्य अभियंता (टी.सी.डी.)
योजना स्कंध
25. मुख्य अभियंता (आई.आर.पी.)
26. मुख्य अभियंता (एफ.एम.)
27. मुख्य अभियंता (पी.डी.एम.)
28. मुख्य अभियंता (आर.ई.एस.डी.)
29. मुख्य अभियंता (पी.एस.एंड एल.एफ.)
30. मुख्य अभियंता (आर. एंड डी.)

जल-विधुत स्कंध
31. मुख्य अभियंता (एच.पी.एम.)
32. मुख्य अभियंता (एच.पी.ए.-I)
33. मुख्य अभियंता (एच.पी.ए.-II)
34. मुख्य अभियंता (एच.ई.पी.आर.)
35. मुख्य अभियंता (एच.पी.एंड आई.)
36. मुख्य अभियंता (एच.ई. एंड टी.डी.)
37. मुख्य अभियंता (एच.ई.आर. एंड एम.)
अन्य
38. मुख्य अभियंता (समन्वय)
39. मुख्य अभियंता (आई.टी.)
40. मुख्य अभियंता (एच.आर.डी.)

II. **सदस्य सचिव** (एन.आर.पी.सी./डब्लू.आर.पी.सी./एस.आर.पी.सी./ई.आर.पी.सी./एन.ई.आर.पी.सी.)

III. **एस.ई.**(आर.आई.ओ.-एन./आर.आई.ओ.-डब्लू/आर.आई.ओ.-एस./आर.आई.ओ.-ई./आर.आई.ओ.- एन.ई.)

IV. **निदेशक (प्रशासन), के.वि.प्रा.**

V. **निदेशक (पी.ए.सी.), के.वि.प्रा.**

VI. **उप-सचिव (बजट और लेखा) एवं उप-सचिव (सतर्कता)**

VII. **उप-निदेशक** (आर.पी.एस.ओ.-एन./आर.पी.एस.ओ-डब्लू./ आर.पी.एस.ओ-ई./आर.पी.एस.ओ- एस.)

VIII. **विशेष सहायक- अध्यक्ष, के.वि.प्रा.**

IX. **विशेष सहायक-सदस्य, के.वि.प्रा. (योजना/ हाइड्रो/थर्मल/पावर सिस्टम/आ. व वा./ जी.ओ. एंड डी)**

X. **प्रोटोकॉल ऑफिसर, के.वि.प्रा.**